न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), सोनभद्र

वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–41 **सन् 2024**

पन्ना देवी **बनाम** रविन्द्र पटेल व अन्य

थाना–पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

03.05.2025

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा पन्ना देवी पत्नी अमरनाथ, निवासी कूरा खुर्द, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र की ओर से विपक्षीगण रविन्द्र पटेल, सरोज पटेल, राहुल, चन्दन एवं दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध संबंधित थाने को मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुरूप विवेचना के आदेश निर्गत किए जाने क आशय से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी गरीब मजदूर महिला है। घटना दिनांक 25.03.2024 समय करीब 03 बजे दिन की है। प्रार्थिनी अपने दरवाजे पर बैठी थी तभी शोरगुल सुनकर दौड़कर गई तो देखा कि प्रार्थिनी के लड़के बनारसी को गॉव के रविन्द्र पटेल, सरोज पटेल, राहुल पटेल, चन्दन व दो अज्ञात एक राय होकर चमार, सियार नीच की गाली देते हुये लाठी–डण्डा से मार रहे थे जब हम प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का लड़का सिपाही बीच–बचाव करने गये तो विपक्षीगण हम लोगों पर भी लाठी–डण्डा से मारने लगे तथा नीच चमाईन की गाली तमाम लोगों के सामने दने लगा। शोर होने पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गयी और किसी ने मार पीट का वीडियो बना लिया। विपक्षीगण द्वारा धमकी दिया गया कि थाने पर सूचना दिये तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मार कर हत्या कर देंगे। प्रार्थिनी थाना पन्नूगंज पर सूचना दी परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 27.03.2024 को जरिये रजिस्ट्र्ड डाक से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचना दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2024 को प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया।

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सी0डब्लू0–1 सिपाही एवं सी0डब्लू0–2 रमाशंकर के रूप में परीक्षित कराया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद पत्र की प्रति, वाह्य रोगी टिकट की छाया प्रति, इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रति, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र की पर्ची व जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजात दाखिल किया गया है।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में परिवाद पत्र में वर्णित घटना का समर्थन किया गया है तथा परिवादिनी साक्षीगणों द्वारा भी अपने–अपने बयानों के माध्यम से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों एवं परिवादिनी द्वारा दिये गये बयान का समर्थन किया गया है।

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2025.05.03 12:30:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 में शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण रविन्द्र पटेल, सरोज पटेल, राहुल तथा चन्दन के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः विपक्षीगण रविन्द्र पटेल, सरोज पटेल, राहुल, चन्दन को उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

–:आदेशः–

अभियुक्तगण रविन्द्र पटेल, सरोज पटेल, राहुल तथा चन्दन को प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादिनी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर तथा **गवाहान सूची दाखिल किए जाने के उपरान्त** अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 18.06.2025 के लिए तलब किया जाता है।

(आबिद शमीम),
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनांकः 03.05.2025